



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122021-231586
CG-DL-E-03122021-231586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4585]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्राहायण 12, 1943

No. 4585]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4956(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 4321(अ) तारीक 18 अक्टूबर 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii), संख्या 3972, तारीक 18 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिम गोदावरी जिले में पुनः संरेखित भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के चैनेज चै. 15.700 से 50.500 के भूखंड गुंडुगोलनु – कोव्वुरु सेक्शन के निर्माण (चार/छः लेन का बनाने/चौड़ा करने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26 अक्टूबर 2021 को “प्रजा शक्ति” (तेलुगू) और “टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है’ :

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 15.700 कि.मी. से 50.500 कि.मी. तक (गुंडुगोलनु - कोव्वुरु सेक्शन) केलिय अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: पश्चिम गोदावरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नॉलाजेरला				
	गांव का नाम: दुबचेरला				
1	762/2A2	निजी	ड्राई	0.0202	पोलिना नागा वेंकट सत्यनारायण (762/2ए2)
2	762/2A3	निजी	ड्राई	0.0081	पोलिना गंगाधर रौ (762/2ए3)
	गांव का नाम: नॉलाजेरला				
3	1105/2A	निजी	ड्राई	0.0121	रविपति वेंकटेश्वर रौ अन्ड सत्यनारायण (1105/2ए)
4	1106/1B1	निजी	ड्राई	0.0242	बुल्लुरी वेंकटेश्वर रौ अन्ड वरलक्ष्मी (1106/1बी1)
5	1106/2B1	निजी	ड्राई	0.0242	अप्पासनी ब्रह्माजी रौ अन्ड सूर्य चेन्ड्रा रौ (1106/2बी1)
6	1112/2A	निजी	ड्राई	0.0081	मेंडनी स्त्रीनिभास् एंस्/ओ वैकुंठम (1112/2ए)
			कुल	0.0969	

[फा. सं. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2021

S.O. 4956(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.4321 (E) dated the 18th October, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide No.3972 dt.18th October, 2021, issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening / four – six laning, etc.), maintenance, management and operation of realigned portion of National Highway No.16 on the stretch of land from Km.15.700 to Km.50.500 (Gundugolanu-Kovvuru section) in the District of West Godavari in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” (English) and “Praja Sakthi” (Telugu) both dated 26.10.2021 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 15.700 to Km. 50.500 (Gundugolanu-Kovvuru section) on the National Highway No. 16 in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: WEST GODAVARI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nallajerla				
	Village: Dubacherla				
1	762/2A2	Private	Dry	0.0202	Polina Naga Venkata Satyanarayana 762/2A2
2	762/2A3	Private	Dry	0.0081	Polina Gangadhara Rao 762/2A3
	Village: Nallajerla				
3	1105/2A	Private	Dry	0.0121	Ravipati Venkateswara Rao and Satyanaryana 1105/2A
4	1106/1B1	Private	Dry	0.0242	Vulluri Venkateswara Rao and Varalakshmi 1106/1B1

5	1106/2B1	Private	Dry	0.0242	Appasani Brahmaji Rao and Surya Chandra Rao 1106/2B1
6	1112/2A	Private	Dry	0.0081	Mendni Srinivas S/o Vaikuntam 1112/2A
			TOTAL	0.0969	

[F. No. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/3D]

RAJESH GUPTA, Director